फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उंकारलाल बनाम विपक्षी : श्री आदित्येन्द्र राव व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 16/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 14.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र कोई कार्यवाही नहीं चाह कर नोट प्रेस किया गया। अतः कोई कार्यवाही नहीं चाहने से काउन्टर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता हैं। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 3, 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी विपक्षी संख्या 6 की तरफ से वकालत पत्र पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 6 अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 11 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण खातेदार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से विवाद रहता हैं जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी की भूमि के बीच में पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 1071 की आराजी न. 5199/731, 5201/758, 757 किता 3 रकबा 0.2600 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:17:46 IST
Reason: SelfAttested